



“विद्यालय प्रबंधन समिति” प्रशिक्षण

(2019-20)

प्रतिभागियों हेतु प्रशिक्षण मॉड्यूल



स्वाध्यायान्ता प्रमदः

समग्र शिक्षा

राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्,
वरुण मार्ग, डिफेन्स कॉलोनी, नई दिल्ली-110024

© राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली
दिसंबर, 2019,
3000 प्रतियाँ

प्रकाशन टीम

डॉ. मुकेश यादव

प्रकाशन अधिकारी, एस. सी. ई. आर. टी., दिल्ली

नवीन कुमार

एस. सी. ई. आर. टी., दिल्ली

राधा

एस. सी. ई. आर. टी., दिल्ली

जय भगवान

एस. सी. ई. आर. टी., दिल्ली

‘विद्यालय प्रबंधन समिति’ प्रशिक्षण (2019)

प्रशिक्षण सामग्री को तैयार करने में योगदानकर्ता		
मुख्य सलाहकार	संदीप कुमार	शिक्षा सचिव, दिल्ली सरकार
	बिनय भूषण	शिक्षा निदेशक, दिल्ली सरकार
	शशि बाला सैनी	निदेशिका , एस. सी. ई. आर. टी. , दिल्ली
	रंजना देसवाल,	राज्य परियोजना निदेशक, एस. एस. ए. , दिल्ली
मार्ग दर्शक	डॉ. नाहर सिंह	रीडर, एस. सी. ई. आर. टी. , दिल्ली
समन्वयक एवं संपादक	रितिका डबास	वरिष्ठ प्रवक्ता, एस. सी. ई. आर. टी. , दिल्ली
परियोजना टीम	रितिका डबास	वरिष्ठ प्रवक्ता, एस. सी. ई. आर. टी. , दिल्ली
	संजीव राज़	प्रवक्ता, एस. सी. ई. आर. टी. , दिल्ली
	उर्वशी नागपाल	प्रशिक्षण प्रबंधक, साझा (गैर-सरकारी संस्था)
कंटेंट टीम	रितिका डबास	वरिष्ठ प्रवक्ता, एस. सी. ई. आर. टी. , दिल्ली
	संजीव राज़	प्रवक्ता, एस. सी. ई. आर. टी. , दिल्ली
	धीरज कुमार रॉय	प्रवक्ता, एस. सी. ई. आर. टी. , दिल्ली
	मनोज़ कुमार	प्रवक्ता, एस. सी. ई. आर. टी. , दिल्ली
	उर्वशी नागपाल	साझा (गैर-सरकारी संस्था)
	अपूर्वा भटनागर	साझा (गैर-सरकारी संस्था)
	अमनदीप	साझा (गैर-सरकारी संस्था)
चित्रण	अनिल कुमार	चित्रकार
	दीपक कुमार	फ्रीलांसर

निदेशक की कलम से



यह मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि प्रत्येक वर्ष की भांति “राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद” (SCERT) विद्यालय प्रबंधन समिति सदस्यों के प्रशिक्षण हेतु SMC पुस्तिका प्रकाशित कर रही है। इसका उद्देश्य दिल्ली के सभी विद्यालयों की “विद्यालय प्रबंधन समिति” सदस्यों को शिक्षा के अधिकार अधिनियम (RTE), 2009 के तहत SMC के कर्तव्यों और दायित्व से अवगत करना है।

जैसा कि हम जानते हैं एक बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए विद्यालय, अभिभावक और समाज का एक साथ काम करना ज़रूरी है, इन्हीं को ध्यान में रखते हुए “शिक्षा का अधिकार” अधिनियम 2009 के तहत दिल्ली के सभी विद्यालयों में “विद्यालय प्रबंधन समिति” का गठन किया गया है। अब आवश्यक है कि विद्यालय स्तर पर यह समितियाँ प्रभावी रूप से गुणात्मक विकास के लिए कार्य करें, इसके लिए समिति के सदस्यों का प्रशिक्षण परिषद द्वारा कराया जाता है। इन समितियों से अपेक्षा की जाती है कि विद्यालय स्तर पर शैक्षणिक और प्रशासनिक रूप से आने वाली समस्याओं को हल करने के साथ-साथ, समुदाय में अन्य अभिभावकों में जागरूकता लाकर, समुदाय को विद्यालय से जोड़ने का कार्य भी करें।

इन्हीं सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए समिति के सदस्यों के क्षमता संवर्धन हेतु तीन दिवसीय कार्यशाला के लिए इस बार SMC के प्रशिक्षण को सरल व उपयोगी बनाने के लिए प्रशिक्षण निर्देशिका पुस्तिका के साथ-साथ सहायक दृश्य-श्रवण सामग्री को भी तैयार किया गया है।

आशा है कि विद्यालय प्रबंधन समिति सदस्यों के प्रशिक्षण हेतु यह पुस्तिका और दृश्य-श्रवण सामग्री उपयोगी सिद्ध होगी और आने वाले समय में इन समितियों के योगदान से विद्यालय स्तर पर शिक्षा के क्षेत्र में प्रभावी सुधार देखने को मिलेगा। शिक्षा के क्षेत्र में SMC की भूमिका को सफल बनाने के लिए समिति से जुड़े विभिन्न हितधारकों-एससीईआरटी/ डाइट के संकाय सदस्यों, विद्यालय के प्रधानाचार्य, शिक्षक, माता-पिता, गैर-सरकारी संस्था, साझा आदि को शुभकामनाएं।

शशि बाला सैनी

निदेशक

एस. सी. ई. आर. टी, दिल्ली



नमस्कार,

शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत, 6-14 वर्ष की आयु के बच्चों को निः शुल्क नामांकन, गुणवत्ता शिक्षा, और मध्यान्ह भोजन आदि अनेकों अधिकार बच्चों के लिए बनाए गए हैं | अब उक्त आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त हो रही है या नहीं, यह सुनिश्चित करने के लिए एस. एम. सी के गठन करने की योजना बनायी गयी | इस समिति को बनाने का उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना तथा विद्यालय संचालन की व्यवस्था को सुदृढ़ करना है | इस समिति में माता-पिता, शिक्षक, शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत व्यक्ति, जनप्रतिनिधि की आवश्यक भागीदारी के गठन का प्रावधान रखा गया ताकि यह समिति स्कूल और समुदाय के बीच एक महत्वपूर्ण पुल का निर्माण कर सके |

RTE के उद्देश्यों की प्राप्ति व स्कूलों के बेहतर संचालन के लिए तीन दिवसीय प्रशिक्षण का कार्यक्रम रखा गया है | इसमें विद्यालय प्रबंधन समिति से संबंधित विभिन्न जानकारीयों- “SMC मीटिंग प्रक्रिया, स्कूल फंड्स का उपयोग, समावेशी शिक्षा और बच्चों के सीखने के स्तर आदि मुद्दों पर रोचक क्रियाकलापों के माध्यम से विस्तृत चर्चा की गयी है |

इस कार्य को पूरा करने में परिषद् की परियोजना टीम और गैर-सरकारी संस्था “साझा” का विशेष रूप से आभार प्रकट करना चाहूँगा जिनके प्रयासों के बिना यह कार्य पूरा नहीं किया जा सकता था | मुझे विश्वास है कि प्रशिक्षण के दौरान विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा बनायी गयी कार्य योजना को वह सुचारु रूप से क्रियान्वित कर अपने स्कूल का विकास कर पाएंगे |

डॉ. नाहर सिंह

रीडर ,

एस. सी. ई. आर. टी. , दिल्ली



निः शुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 (आरटीई) के अनुच्छेद 21 के तहत सभी स्कूलों और देश के विशेष श्रेणी के स्कूलों में स्कूल प्रबंधन समितियों (एसएमसी) के गठन का निर्देश है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम स्कूल के कामकाज में माता-पिता की सक्रिय भागीदारी के साथ प्रशासन के एक विकेन्द्रीकृत मॉडल की मूल इकाई के रूप में एसएमसी की कल्पना करता है। यह प्रशिक्षण SMC के सदस्यों की क्षमता विकास हेतु रखी गयी है ताकि वह सभी विद्यालय के विकास में अपना सक्रिय सहयोग दे सके। अब हम जानते हैं प्रशिक्षण कार्यक्रम के सत्रों को बनाने की प्रक्रिया के बारे में। प्रशिक्षण हेतु मॉड्यूल निर्माण प्रक्रिया को शुरुआत करने के लिए सबसे पहले एसएमसी सदस्यों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं का मूल्यांकन किया और इसके तहत एसएसएमसी से जुड़े पदधारकों के साथ समूह चर्चा कर एक प्रश्नवाली तैयार की गयी। इस प्रश्नवाली को एस0 एस0 ए0 (SSA) में कार्यरत सीआरसीसी (CRCC) ने दिल्ली के 110 स्कूलों के 6-6 एसएमसी सदस्यों (1 प्रधानाचार्य, 1 टीचर कन्वीनर, 1 सामाजिक कार्यकर्ता, 1 जनप्रतिनिधि, 2 अभिभावक सदस्य) से गूगल फॉर्म की सहायता से भरवाया। हर सदस्य को 11 में से तीन विषयों को चुनना था जिस पर वह प्रशिक्षण चाहते थे।

इन फॉर्मों का विश्लेषण कर SMC सदस्यों द्वारा प्राथमिकता दिए गए 5 विषय चुने गए। इस विषय सूची में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत बच्चों को मिलने वाली सुविधाएँ, SMC की आवश्यकता, कार्य और दायित्व हैं। इसके साथ ही विद्यालय की वार्षिक कार्ययोजना का निर्माण एवं क्रियान्वन, बच्चों के सीखने के स्तर, सबके लिए स्कूल और अभिभावक भागीदारी को बढ़ाने जैसे विषयों को भी शामिल किया गया है। इन चुने गए विषयों पर एससीईआरटी/ डाइट के संकाय सदस्यों, साझा तथा अन्य विषय-विशेषज्ञों की सहायता से सम्बंधित गतिविधियाँ तैयार की गयी जिन्हें कुछ स्कूलों के SMC सदस्यों, डीआरयू और डीयूआरसीसी के साथ प्रोटोटाइप करने के बाद बनाया गया है और सभी सुझावों को गतिविधियों में सम्मिलित किया गया। प्रशिक्षणार्थियों को ध्यान में रखते हुए, इस प्रशिक्षण को वीडियो, गतिविधियों, चित्र आदि के द्वारा रोचक व सरल बनाने का प्रयास किया गया है। इस प्रशिक्षण मॉड्यूल को बनाने का उद्देश्य तभी सफल होगा जब इस में सम्मिलित सभी बिंदुओं पर विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य गहन अध्ययन कर अपने स्कूल की स्थिति को जान पायेंगे और विद्यालय विकास योजना का निर्माण करके उसका क्रियान्वन भी सुनिश्चित कर सकेंगे।

आशा है कि यह प्रशिक्षण मॉड्यूल आप सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होगा और आप प्रभावी रूप से इसका उपयोग कर अपने स्कूल के विकास में सहयोग कर पाएंगे। प्रशिक्षण मॉड्यूल में सम्मिलित सत्रों के विकास से संबंधित सभी व्यक्तियों की भूमिका और सहयोग महत्वपूर्ण है।

समन्वयक एवं संपादक

रितिका डबास

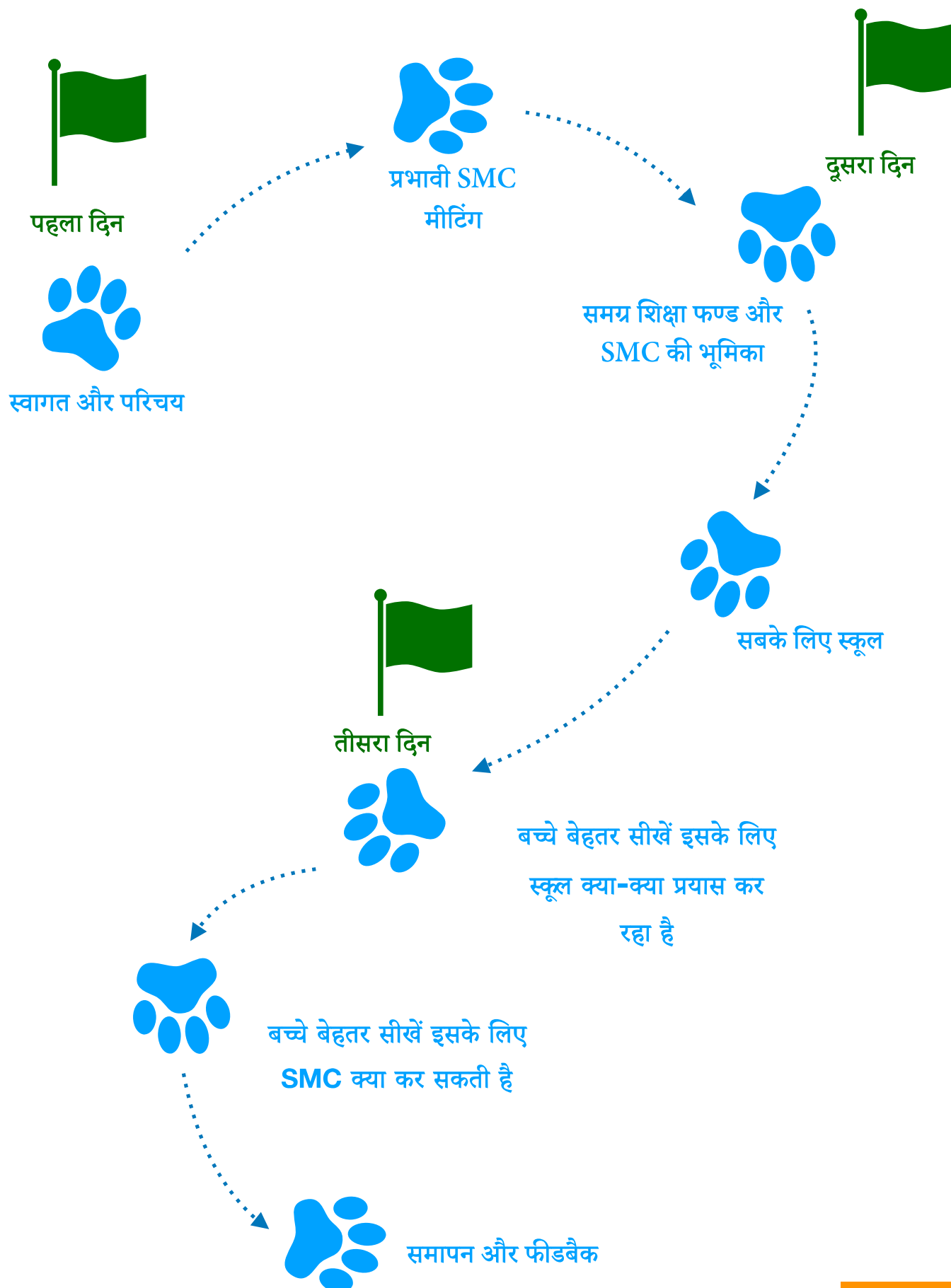
वरिष्ठ प्रवक्ता

एस. सी. ई. आर. टी, दिल्ली

अनुक्रमणिका

क्र. सं.	विषय वस्तु	पृष्ठ संख्या
1	प्रशिक्षण का सफर	1
2	हमारी SMC मीटिंग	2
3	प्रभावी SMC मीटिंग- कैसे करें	4
4	समग्र शिक्षा फण्ड (कम्पोजिट स्कूल ग्रांट) में SMC की भूमिका	5
5	सबके लिए स्कूल	7
6	बच्चे बेहतर पढ़ना सीखें इसके लिए स्कूल क्या-क्या प्रयास कर रहा है ?	9
7	बच्चे बेहतर पढ़ना सीखें इसके लिए SMC क्या कर सकती है?	10

प्रशिक्षण का सफर



हमारी SMC मीटिंग

मुख्य निर्देश : जिन बिंदुओं का ध्यान आपकी SMC रखती है, उनके आगे सही का निशान लगाएं | SMC सदस्यों के साथ मिलकर ही बिंदु के आगे निशान लगाने का निर्णय लें |

1



SMC मीटिंग से दो दिन पहले मीटिंग का मुद्दा (एजेंडा) सूचित नहीं किया जाता |

☐

2



SMC मीटिंग में सिर्फ एक तिहाई (5-6) सदस्य ही मीटिंग आते हैं |

☐

3



मीटिंग के दौरान SMC के एक-दो ही सदस्य अपनी बात कह पाते हैं |

☐

4



मीटिंग में बनाई गई योजना पर काम करने की जिम्मेदारी नहीं बांटी जाती |

☐

5



काम करने में समस्या आने पर सदस्य टीम से चर्चा नहीं करते हैं और काम बीच में ही छोड़ देते हैं |

☐

6



मीटिंग के अंत में टीचर कन्वीनर के द्वारा टीम को मीटिंग के मुख्य बिंदु नहीं बताए जाते |

☐

चर्चा के प्रश्न

1. एक ही समूह में सदस्यों की आपस में सहमति क्यों नहीं है ?
2. ऐसे कौन-कौन से बिंदु हैं, जिसमें आप आपस में सहमत नहीं हैं ?

हमने आज जाना

निर्देश: अपनी समझ के अनुसार स्टार पर निशान लगाएं (1 - नहीं समझ आया , 5 - बहुत अच्छे से समझ आया)

अपनी SMC मीटिंग के बारे में					
SMC मीटिंग बेहतर बनाने की प्रक्रिया के बारे में					
मीटिंग में सदस्यों की उपस्थिति को बढ़ाने के बारे में					
अन्य					

प्रभावी SMC मीटिंग- कैसे करें

उद्देश्य - प्रतिभागियों की प्रभावी SMC मीटिंग की प्रक्रिया पर समझ बनाना |

मीटिंग से पहले

- मीटिंग के कम-से-कम दो दिन पहले मीटिंग का समय, दिन और एजेंडा की जानकारी सभी SMC सदस्यों को दें |
- यह सूचना SMC सदस्यों को देने के लिए : फ़ोन, SMS या बच्चों की डायरी में लिखकर इत्यादि तरीकों का प्रयोग किया जा सकता है |
- इस काम की ज़िम्मेदारी टीचर कन्वीनर, प्रिंसिपल, वाईस चेयर पर्सन या कोई भी पैरेंट सदस्य ले सकता है |

मीटिंग के दौरान

- मीटिंग की शुरुआत किसी गतिविधि से की जा सकती है
- मीटिंग को आगे बढ़ाने से पहले ,पिछली मीटिंग में रखे गए मुद्दों पर चर्चा करें | | हो रही मीटिंग में चर्चा किए जाने वाले मुद्दों को आसान भाषा में सदस्यों को बतायें |
- SMC अध्यक्ष एजेंडा पर कम से कम एक तिहाई (5-6) सदस्यों से सुझाव लें|
- टीचर कन्वीनर मीटिंग में आए सुझावों को मीटिंग रजिस्टर और SMC एप में दर्ज करें |
- मीटिंग में आए अभिभावक सदस्यों को अपनी राय देने के लिए प्रोत्साहित करें |
- SMC सदस्य एजेंडा से जुड़े प्रश्न पूछें |
- मीटिंग के अंत में मिनट्स सभी SMC सदस्यों के साथ साझा करें |

मीटिंग के बाद

- काम में कोई दिक्कत आने पर सदस्य एक दूसरे की मदद/सहयोग ले सकते हैं |
- माता-पिता और बच्चों से स्कूल विकास के लिए किये गए कार्यों पर फीडबैक ले सकते हैं |

समग्र शिक्षा फण्ड (कम्पोजिट स्कूल ग्रांट) में SMC की भूमिका

मुख्य निर्देश: फण्ड का सुझावित उपयोग करने की प्रक्रिया में आपकी SMC की क्या भूमिका रहती है, निशान लगाए और बड़े समूह में बताएं।

1



फण्ड का उपयोग करने के लिए SMC के सदस्यों का स्कूल बिल्डिंग कमिटी और स्कूल अकादमी कमिटी के साथ मिलकर बच्चों के विकास से संबंधित जरूरतों को जानना

☐

2



प्रधानाचार्य से पूछना, बच्चों की आवश्यकता का सामान कौन से मद से खर्च किया जा सकता है।

☐

3



मद के अंतर्गत सामान आने के बाद उसकी गुणवत्ता की जाँच करना और उसका बिल देखना

☐

4



सामान का बच्चों के विकास में उचित उपयोग सुनिश्चित करना

☐

5



SMC की मीटिंग में बच्चों की जरूरतों पर चर्चा करना

☐

6



मीटिंग में योजना बनाना- कौनसा SMC सदस्य किस कार्य को करेगा और कैसे

☐

7



SMC के सदस्यों का सामान के बिल को देखकर उस पर अपने हस्ताक्षर करना

☐

8



उचित उपयोग न होने पर प्रधानाचार्य को लिखित में शिकायत करना

☐

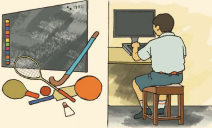
हमने आज जाना

निर्देश: अपनी समझ के अनुसार स्टार पर निशान लगाएं (1 - नहीं समझ आया , 5 - बहुत अच्छे से समझ आया)

समग्र शिक्षा का क्या उद्देश्य है?					
समग्र शिक्षा फण्ड (कम्पोजिट स्कूल ग्रांट) स्कूल में किस तरह से उपयोग किया जा सकता है?					
समग्र शिक्षा फण्ड के उपयोग में SMC की क्या भूमिका रहती है					
अन्य					

सबके लिए स्कूल

निर्देश: समूह में चर्चा कर “टिप्पणी” में “हाँ” या “नहीं” का कारण लिखें।

	समावेश विद्यालय की विशेषताएँ	टिप्पणी
	क्या सभी बच्चों को स्कूल में दाखिला दिया जाता है?	हाँ/नहीं
	क्या सभी बच्चों को स्कूल में स्वीकृत किया जाता है?	हाँ/नहीं
	क्या सभी बच्चों को सभी गतिविधियों में भाग लेने का अवसर मिलता है?	हाँ/नहीं
	क्या आपका स्कूल बाधा रहित है?	हाँ/नहीं
	क्या सभी बच्चों को सरकार द्वारा दी गयी सभी सहायता मिल रही है?	हाँ/नहीं
	क्या सभी अभिभावक, अध्यापकों के साथ अपने बच्चे के विकास से संबंधित चर्चा करते हैं।	हाँ/नहीं

हमने आज जाना

निर्देश: अपनी समझ के अनुसार स्टार पर निशान लगाएं (1 - नहीं समझ आया , 5 - बहुत अच्छे से समझ आया)

समावेशी शिक्षा क्या है ?					
हर बच्चे की जरूरत के अनुसार स्कूल में क्या उपलब्धता होनी चाहिए ?					
सबके लिए स्कूल बनाने में SMC की भूमिका					
अन्य					

बच्चे बेहतर सीखें इसके लिए अभी आपके स्कूल में क्या-क्या प्रयास किये जाते हैं ?

उदाहरण

1. उदाहरण : अध्यापक बच्चों को कहानी के माध्यम से कोई विषय पढ़ा रही है।

SMC इन सभी कार्यों में कैसे सहयोग दे सकती है ?

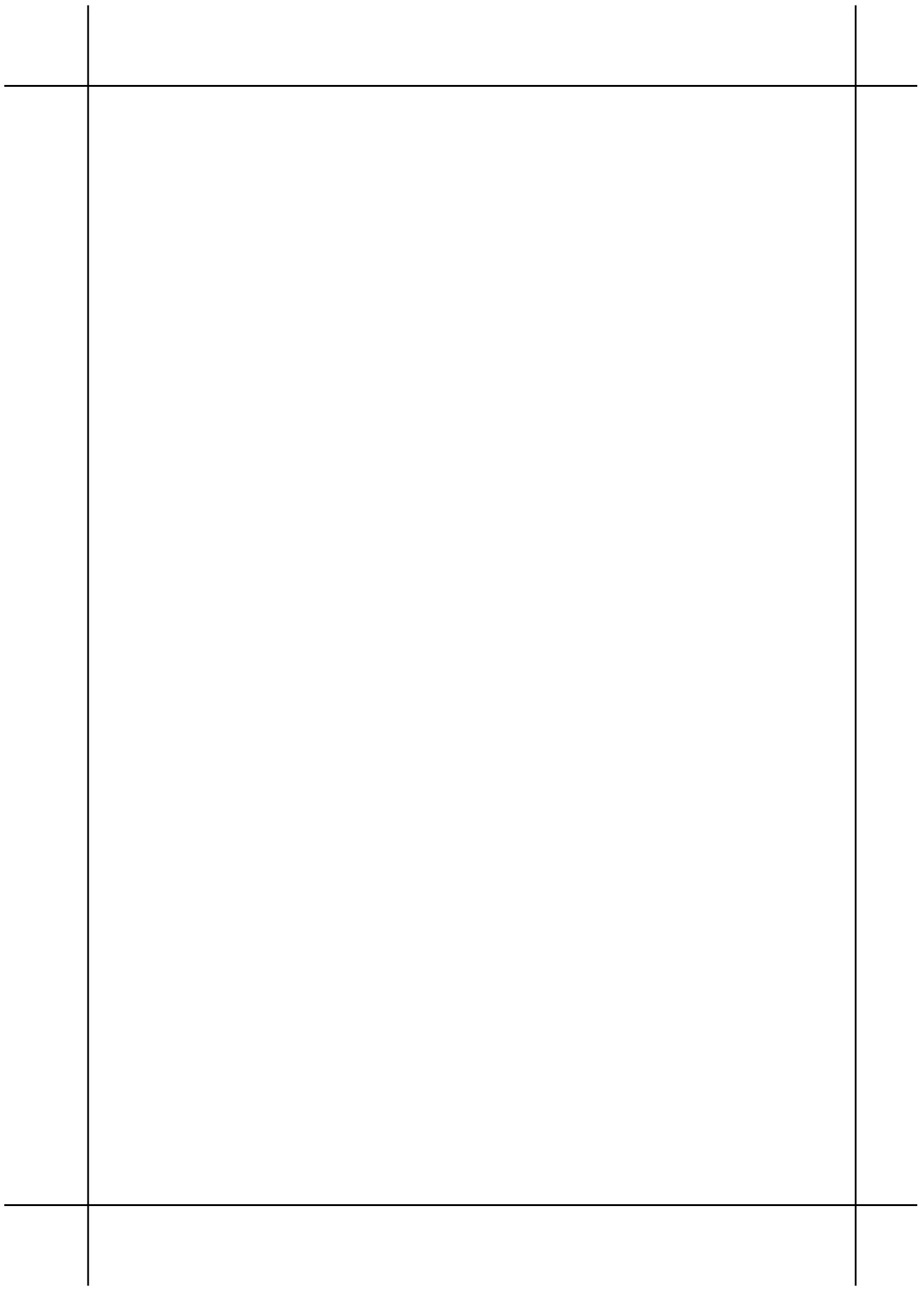
उदाहरण

1. स्कूल में “रीडिंग मेला” लगाना
2. स्कूल में समुदाय से “रिसोर्स पर्सन” को बुलाकर स्कूल की सहायता करना

हमने आज जाना

निर्देश: अपनी समझ के अनुसार स्टार पर निशान लगाएं (1 - नहीं समझ आया , 5 - बहुत अच्छे से समझ आया)

बच्चों को स्कूल में सीखने - सिखाने की प्रक्रिया					
बच्चे बेहतर सीख सकें इसके लिए स्कूल में क्या-क्या प्रयास होते हैं?					
SMC सदस्य स्कूल में बच्चों की सीखने में कैसे मदद कर सकते हैं?					
अन्य					





गैर-सरकारी संस्था



राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्,
वरुण मार्ग, डिफेन्स कॉलोनी, नई दिल्ली-110024

समग्र शिक्षा